

झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय

कार्यालय आदेश

दिनांक 31.07.2020 को अराजपत्रित कर्मियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु गठित स्थापना समिति की बैठक में लिये गये निर्णय एवं अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित कर्मियों एवं निदेशालय कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1345 दिनांक 31.07.2020 द्वारा नव प्रोन्नत प्रधान लिपिक को उनके नाम के समक्ष स्थान/कार्यालय में स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

| क्र० | कर्मचारी का नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापन | स्थानांतरित कार्यालय का नाम |
|------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री चितरंजन सिंह, उच्च वर्गीय लिपिक सम्प्रति नव प्रोन्नत प्रधानलिपिक | जिला उद्योग केन्द्र, गुमला | जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह |
| 2 | श्री किशन विश्वकर्मा, उच्च वर्गीय लिपिक सम्प्रति नव प्रोन्नत प्रधानलिपिक | जिला उद्योग केन्द्र, राँची (प्रतिनियुक्त उद्योग निदेशालय) | कोटि नियंत्रण कार्यालय, राँची (प्रतिनियुक्त उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची) |
| 3 | श्री अनिल कुमार सिन्हा, उच्च वर्गीय लिपिक सम्प्रति नव प्रोन्नत प्रधानलिपिक | जिला उद्योग केन्द्र, पलामू | जिला उद्योग केन्द्र, गुमला |
| 4 | श्री मनीष कुमार लिण्डा, प्रधान लिपिक | जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह | जिला उद्योग केन्द्र, पलामू |
| 5 | श्री अश्विनी कुमार सिन्हा, प्रधान लिपिक | जिला उद्योग केन्द्र, पलामू | जिला उद्योग केन्द्र, गोड्डा |
| 6 | श्री दीपक कुमार, उच्च वर्गीय लिपिक | जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा | जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा |
| 7 | श्रीमती पुष्पा देवी, उच्च वर्गीय लिपिक | जिला उद्योग केन्द्र, लोहरदगा | जिला उद्योग केन्द्र, राँची |
| 8 | श्री शक्ति कुमार पासवान, आशुलिपिक/आशुटकक | जिला उद्योग केन्द्र, चाईबासा | जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह |
| 9 | श्री अशोक कुमार निम्न वर्गीय लिपिक | जिला उद्योग केन्द्र, राँची | जिला उद्योग केन्द्र, पलामू |

2. क्रमांक 4, 6, 7, 8, एवं 9 पर अंकित कर्मियों का स्थानांतरण/पदस्थापन उनके अभ्यावेदन/अनुरोध के आधार पर किया गया है। अतः इन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता/अनुदान देय नहीं होगा।

3. उक्त स्थानांतरित कर्मी/नव प्रोन्नत प्रधान लिपिक अपने स्थानांतरित कार्यालय में अविलम्ब योगदान समर्पित करेंगे एवं तदनुसार माह अगस्त 2020 से वेतनादि का भुगतान स्थानांतरित कार्यालय से देय होगा।
4. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानीय व्यवस्था के तहत अविलंब स्थानांतरित कर्मी/नव प्रोन्नत प्रधान लिपिक को विरमित करेंगे ताकि संबंधित कर्मी स्थानांतरित स्थान पर ससमय योगदान कर सकेंगे।
5. सभी नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि निहित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
6. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

निदेशक उद्योग

उद्योग निदेशालय

ज्ञापांक 1347 / राँची, दिनांक 31/07/2020

01/उ0नि0/स्थानान्तरण/बैठक-02/2013

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, हिनू राँची/सभी कोषागार/उप कोषागार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्योग

ज्ञापांक 1347 / राँची, दिनांक 31/07/2020

01/उ0नि0/स्थानान्तरण/बैठक-02/2013

प्रतिलिपि:- सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सचिव, उद्योग के आप्त सचिव, उद्योग विभाग/उद्योग निदेशक के गोपनीय कोषांग, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची/महाप्रबन्धक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड/सभी उप उद्योग निदेशक/सभी अवर सचिव, उद्योग निदेशालय एवं संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्योग

झारखंड सरकार
उद्योग निदेशालय

सं०स० : ०१/उ०नि०/स्थापना-०५/२०१४

कार्यालय आदेश

उद्योग निदेशालय के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अराजपत्रित कर्मियों के प्रोन्नति निमित्त गठित प्रोन्नति समिति की दिनांक 21.07.2020 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय एवं समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्न उच्च वर्गीय लिपिकों को वेतनमान PB-I-5200-20200 G.P. 2400/- 7वाँ पुनरीक्षित वेतन लेबल-4 से प्रधानलिपिक के पद वेतनमान PB-II-9300-34800 G.P. 4200/- 7वाँ पुनरीक्षित वेतन लेबल-6 में प्रोन्नति दी जाती है :-

| क० | कर्मचारी का नाम एवं पदनाम | वरीयता कमांक | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नत पद | अभ्युक्ति |
|----|--|--------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री चितरंजन सिंह उच्च वर्गीय लिपिक | 10 | जिला उद्योग केन्द्र, गुमला | प्रधान लिपिक | |
| 2 | श्री किशन विश्वकर्मा उच्च वर्गीय लिपिक | 13 | जिला उद्योग केन्द्र, राँची | प्रधान लिपिक | |
| 3 | श्री अनिल कुमार सिन्हा, उच्च वर्गीय लिपिक | 14 | जिला उद्योग केन्द्र, पलामू | प्रधान लिपिक | |

2. उक्त प्रोन्नति उपलब्ध चारित्री/आन्तरिक निगरानी स्वच्छता एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता/विमुक्ति प्राप्त, कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराये गये चल-अचल सम्पत्ति विवरणी के आधार पर दी गयी है। भविष्य में इनमें किसी प्रकार की विसंगति अथवा आरोप/दण्ड का पता चलता है, तो दी गयी प्रोन्नति रद्द कर दी जाएगी।

3. कमांक-3 वरीयता कमांक-14 पर अंकित श्री अनिल कुमार सिन्हा को स्थानापन्न प्रोन्नति दी गयी है। भविष्य में इनसे वरीय कर्मी द्वारा प्रोन्नति हेतु वांछित आर्हता प्राप्त करने तथा प्रधान लिपिक का पद उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में इन्हें पदावनत कर इनसे वरीय कर्मी को प्रोन्नति दी जाएगी। ऐसी स्थिति में स्थानापन्न प्रोन्नत कर्मी का वेतनादि का निर्धारण प्रोन्नति के पूर्व धारित पद एवं वेतनमान के अनुसार होगी।

4. वित्तीय लाभ प्रधान लिपिक के पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

ज्ञापांक 1345 /दिनांक 31/07/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार, हिन्, राँची/सभी कोषागार/उप कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
निदेशक, उद्योग

ज्ञापांक 1345 /दिनांक 31/07/2020
प्रतिलिपि: सचिव कोषाग, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/सभी उप उद्योग निदेशक/अवर सचिव, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, उद्योग

निदेशक, उद्योग